संख्या - 003/डी.एस.पी/31364
भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 15.01.09

परिपत्र संख्या 02/01/09

विषय: अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों द्वारा स्वत:पूर्ण, स्पष्ट एवं तर्कसंगत आदेश जारी करने की आवश्यकता ।

आयोग के दिनांक 15.09.2003 के कार्यालय आदेश संख्या 51/9/03 तथा दिनांक 26.02.2004 के कार्यालय आदेश संख्या 14/2/04 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वत:पूर्ण, स्पष्ट तथा तर्कसंगत आदेश जारी करें जिससे, अन्य बातों के साथ, यह अवश्य प्रतीत हो कि आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विवेक का उचित प्रयोग किया गया है ।

2. संबंधित कर्मचारियों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम तथा द्वितीय चरण की सलाहों की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में, आयोग दिनांक 28.09.2000 के परिपत्र सं.99/वीजीएल/66 द्वारा निर्धारित कर चुका है कि अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को इन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए । उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जांच अधिकारी के निष्कर्षों तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के विरूद्ध उनको अभ्यावेदन देने का अवसर दिए जाने के लिए, संबंधित कर्मचारी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग की द्वितीय चरण की सलाह की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

3. तथापि, आयोग की जानकारी में ऐसे मामले आए हैं जिनमें सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अनुशासनिक मामलों में पास किए गए अंतिम आदेश विवेक का उचित प्रयोग किए जाने के सूचक नहीं हैं बल्कि ये आयोग की सिफारिशों का पृष्ठांकन मात्र हैं जो इस अवांछित अनुमान की ओर ले जाते हैं कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह के प्रभाव में निर्णय लिया है । इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि व्यवहार में, विभागों/संगठनों में अनुशासनिक प्राधिकारी, संबंधित कर्मचारियों को आयोग की सलाह की प्रति उपलब्ध नहीं कराते हैं । वे मामले जो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विवेक का उचित प्रयोग किए जाने के सूचक नहीं हैं तथा अथवा जिनमें आयोग की सलाह उपलब्ध नहीं कराई गई है, न्यायालयों द्वारा रद्द किए जा सकते हैं ।

4. अत: आयोग पुन: दोहराता है कि अनुशासनिक मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दृष्टिकोण/सलाह की प्रकृति सलाहकारी है तथा यह संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए है कि वह अपने विवेक का उपयोग करके तर्कसंगत निर्णय ले । अंतिम आदेश पास करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना होगा कि आयोग से परामर्श ले लिया गया है तथा विवेक का विधिवत उपयोग करने के पश्चात, अंतिम आदेश पास किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश में, आयोग की सलाह शब्दश: उद्धत नहीं होनी चाहिए ।

5. मुख्य सतर्कता अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित विभागों/संगठनों में अनुशासनिक प्राधिकारी, अनुशासनिक मामलों पर कार्रवाई करते समय उपर्युक्त दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुवर्तन करें ।

-ह0/-

(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी